


समाहरणालय, जमुई
(जिला तम्बाकू नियंत्रण कोषांग)
आदेश

तम्बाकू स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है। इससे मानव स्वास्थ्य पर विपरीत प्रभाव पड़ता है और व्यक्ति गम्भीर बीमारियों से ग्रसित हो जाता है। राज्य स्वास्थ्य समिति, बिहार सरकार द्वारा संचालित राष्ट्रीय तम्बाकू नियंत्रण कार्यक्रम के अन्तर्गत दिनांक-18.05.2018 को जिला स्तरीय कार्यशाला का आयोजन किया गया। कार्यशाला में लिए गए निर्णय के अनुसार सिगरेट एवं अन्य तम्बाकू उत्पाद अधिनियम COTPA-2003 के धारा (6B) के अनुसार सभी शिक्षण संस्थानों को तम्बाकू मुक्त बनाने के लिए शिक्षण संस्थान के 100 गज के दायरे में किसी भी प्रकार के तम्बाकू उत्पाद को बेचने वालों पर प्रतिबंध लगाया गया है। साथ ही विद्यालय के मुख्य द्वार पर तम्बाकू के दुष्प्रभाव से संबंधित पोस्टर, बैनर एवं फ्लैक्स लगाने का निदेश दिया गया है। फ्लैक्स बैनर का प्रारूप निम्नप्रकार से है :-

60cmx 60 cm (15cm+30cm+15cm)



जिले के सभी सरकारी/गैर सरकारी शिक्षण संस्थानों के प्रधानाध्यापकों को निदेशित किया जाता है कि अपने-अपने शिक्षण संस्थान में उपरोक्त प्रारूप का दिवार लेखन एवं 100 गज के दायरों में किसी भी प्रकार का तम्बाकू उत्पाद की बिक्री पर पूर्ण प्रतिबंध लगाना सुनिश्चित करें। आदेश का अनुपालन नहीं होने पर दंडात्मक कार्रवाई की जा सकती है एवं चालान के द्वारा अधिकतम 200 रु० तक दंड का प्रावधान है। साथ में इसकी सूचना प्रत्येक महिने के प्रथम सप्ताह में जिला शिक्षा पदाधिकारी के माध्यम से अधोहस्ताक्षरी को देना सुनिश्चित करें।

अतः जिला शिक्षा पदाधिकारी को निदेश दिया जाता है कि आम जन के बीच तम्बाकू के दूष्परिणामों के बारे में जागरूक करने के उद्देश्य से सभी सरकारी/गैर सरकारी विद्यालयों में तम्बाकू नियंत्रण पर प्रभात-फेरी के माध्यम से जागरूकता अभियान चलाना सुनिश्चित करें।

६०


(धर्मेन्द्र कुमार)


जिलाधिकारी-सह-अध्यक्ष,
जिला तम्बाकू नियंत्रण समन्वय समिति,
जमुई।

प्रतिलिपि :-

ज्ञापांक 394 / गो० जमुई / दिनांक 31/05/18
सभी प्रखंड विकास पदाधिकारी / अनुमंडल पदाधिकारी, जमुई / अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी, जमुई /
जिला नोडल पदाधिकारी, जिला तम्बाकू नियंत्रण समन्वय समिति, जमुई / जिला पंचायती राज पदाधिकारी /
सिनेमा मजिस्ट्रेट / जिला सूचना जन सम्पर्क पदाधिकारी / जिला परिवहन पदाधिकारी / जिला कार्यक्रम

- पदाधिकारी, आई0सी0डी0एस0 / डी0आई0ओ0, एन0आई0सी0, / जिला शिक्षा पदाधिकारी / सिविल सर्जन / जिला कार्यक्रम प्रबंधक, जिला स्वास्थ्य समिति, जमुई को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।
- प्रतिलिपि :- कार्यपालक निदेशक सोशियो इकानॉमिक एण्ड ऐजुकेशन डेवलॉपमेंट सोसाइटी (सीडस), 32 पूष्कर अपार्टमेंट, गाँधी मूर्ति के पास, पटेल नगर, पटना-23, को सूचनार्थ प्रेषित।
- प्रतिलिपि :- राज्य कार्यक्रम पदाधिकारी / राज्य सलाहकार, राष्ट्रीय तंबाकू नियंत्रण कार्यक्रम, राज्य स्वास्थ्य समिति, बिहार पटना को सूचनार्थ प्रेषित।
- प्रतिलिपि :- पुलिस अधीक्षक, जमुई को सूचनार्थ एवं अनुरोध है कि अपने स्तर से जिले के सभी थानाध्यक्षों एवं पुलिस निरीक्षकों को इस आशय की सूचना देंगे।
- प्रतिलिपि :- आयुक्त, मुंगेर प्रमंडल, मुंगेर / पुलिस उप महानिरीक्षक, मुंगेर को सादर सूचनार्थ प्रेषित।
- प्रतिलिपि :- कार्यपालक निदेशक, राज्य स्वास्थ्य समिति, बिहार, पटना को सादर सूचनार्थ प्रेषित।


26/5/2018


(धर्मन्द्र कुमार)
जिलाधिकारी-सह-अध्यक्ष,
जिला तंबाकू नियंत्रण समन्वय समिति,
जमुई।

समाहरणालय, जमुई
(जिला तम्बाकू नियंत्रण कोषांग)
आदेश

तम्बाकू स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है। इससे मानव स्वास्थ्य पर विपरीत प्रभाव पड़ता है और व्यक्ति गम्भीर बीमारियों से ग्रसित हो जाता है। राज्य स्वास्थ्य समिति, बिहार सरकार द्वारा संचालित राष्ट्रीय तम्बाकू नियंत्रण कार्यक्रम के अन्तर्गत दिनांक 18.05.2018 को जिला स्तरीय कार्यशाला का आयोजन किया गया। कार्यशाला में लिए गए निर्णय के अनुसार सिगरेट एवं अन्य तम्बाकू उत्पाद अधिनियम COTPA-2003 के धारा (6A) के अनुसार सभी तम्बाकू उत्पाद बेचने वाले दूकानों पर यह बोर्ड लगाना अनिवार्य है इस अधिनियम के अन्तर्गत 18 वर्ष से कम उम्र के बच्चे को तम्बाकू उत्पाद बेचना या उनके द्वारा तम्बाकू उत्पाद बेचना पूर्णतः प्रतिबंधित है फ्लैक्स बैनर का प्रारूप निम्नप्रकार से है :-



जिला के सभी तम्बाकू उत्पाद यथा- बिड़ी, सिगरेट, गुटखा, जर्दा एवं अन्य निकोटिनयुक्त पान मशाला तथा अन्य तम्बाकू उत्पाद बेचने वाले दुकानदारों एवं थोक विक्रेताओं को निर्देशित किया जाता है कि अपने अपने दुकान पर यह बोर्ड लगाना सुनिश्चित करेंगे। आदेश का अनुपालन नहीं होने पर दंडात्मक कार्रवाई की जा सकती है एवं चालान के द्वारा अधिकतम 200 रु0 तक दंड का प्रावधान है।

६०
(धर्मेन्द्र कुमार)

जिलाधिकारी-सह-अध्यक्ष,
जिला तम्बाकू नियंत्रण समन्वय समिति,
जमुई।

ज्ञापांक 395 / गो0 जमुई / दिनांक 31/05/2018

- प्रतिलिपि :- सभी प्रखंड विकास पदाधिकारी / अनुमंडल पदाधिकारी, जमुई / अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी, जमुई / जिला नोडल पदाधिकारी, जिला तंबाकू नियंत्रण समन्वय समिति, जमुई / जिला पंचायती राज पदाधिकारी / सिनेमा मजिस्ट्रेट / जिला सूचना जन सम्पर्क पदाधिकारी / जिला परिवहन पदाधिकारी / जिला कार्यक्रम पदाधिकारी, आई0सी0डी0एस0 / डी0आई0ओ0, एन0आई0सी0, / जिला शिक्षा पदाधिकारी / सिविल सर्जन / जिला कार्यक्रम प्रबंधक, जिला स्वास्थ्य समिति, जमुई को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।
- प्रतिलिपि :- कार्यपालक निदेशक सोशियो इकॉनॉमिक एण्ड ऐजुकेशन डेवलॉपमेंट सोसाइटी (सीड्स), 32 पूष्कर अपार्टमेंट, गाँधी मूर्ति के पास, पटेल नगर, पटना-23, को सूचनार्थ प्रेषित।
- प्रतिलिपि :- राज्य कार्यक्रम पदाधिकारी / राज्य सलाहकार, राष्ट्रीय तंबाकू नियंत्रण कार्यक्रम, राज्य स्वास्थ्य समिति, बिहार पटना को सूचनार्थ प्रेषित।

26/5/2018

- प्रतिलिपि :- पुलिस अधीक्षक, जमुई को सूचनार्थ एवं अनुरोध है कि अपने स्तर से जिले के सभी थानाध्यक्षों एवं पुलिस निरीक्षकों को इस आशय की सूचना देंगे।
- प्रतिलिपि :- आयुक्त, मुंगेर प्रमंडल, मुंगेर / पुलिस उप महानिरीक्षक, मुंगेर को सादर सूचनार्थ प्रेषित।
- प्रतिलिपि :- कार्यपालक निदेशक, राज्य स्वास्थ्य समिति, बिहार, पटना को सादर सूचनार्थ प्रेषित।

[Handwritten Signature]
 26/5/2018

[Handwritten Signature]
 (धर्मन्दा कुमार)
 जिलाधिकारी-सह-अध्यक्ष,
 जिला तम्बाकू नियंत्रण समन्वय समिति,
 जमुई।



[Faint, illegible text, likely bleed-through from the reverse side of the page.]

[Faint, illegible text, likely bleed-through from the reverse side of the page.]

समाहरणालय, जमुई
(जिला तम्बाकू नियंत्रण कोषांग)
आदेश

तम्बाकू स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है। इससे मानव स्वास्थ्य पर विपरीत प्रभाव पड़ता है और व्यक्ति गम्भीर बीमारियों से ग्रसित हो जाता है। राज्य स्वास्थ्य समिति, बिहार सरकार द्वारा संचालित राष्ट्रीय तम्बाकू नियंत्रण कार्यक्रम के अन्तर्गत दिनांक 18.05.2018 को जिला स्तरीय कार्यशाला का आयोजन किया गया। कार्यशाला में लिए गए निर्णय के अनुसार सिगरेट एवं अन्य तम्बाकू उत्पाद अधिनियम COTPA-2003 के विभिन्न धाराओं के अनुपालनार्थ जिला स्तरीय छापामार दस्ते का गठन किया जाता है। यह दस्ता सार्वजनिक स्थलों, सरकारी/गैर सरकारी कार्यालय परिक्षेत्र, शिक्षण संस्थानों, स्वास्थ्य संस्थानों एवं तम्बाकू उत्पाद विक्रय स्थलों की मॉनिटरिंग कर उल्लंघनकर्ता पर नियमानुसार चालान/जुर्माना (रूपये 200/- तक) की कार्यवाही सुनिश्चित करेंगी।

जिला स्तरीय छापामार दस्ता में निम्नलिखित पदाधिकारी रहेंगे:-

- | | | |
|--|---|---------|
| 1. आरक्षी उपाधीक्षक (मुख्यालय) जमुई | - | अध्यक्ष |
| 2. अपर मुख्य चिकित्सा पदाधिकारी, जमुई। | - | सदस्य |
| 3. श्रम अधीक्षक-सह-विशेष नोडल पदाधिकारी, तम्बाकू नियंत्रण, कोषांग जमुई | - | सदस्य |
| 4. नोडल पदाधिकारी, तम्बाकू नियंत्रण कार्यक्रम जमुई | - | समन्वयक |
| 5. उपाधीक्षक, सदर अस्पताल, जमुई | - | सदस्य |
| 6. जिला शिक्षा पदाधिकारी, जमुई। | - | सदस्य |
| 7. जिला परिवहन पदाधिकारी, जमुई | - | सदस्य |
| 8. जिला कार्यक्रम पदाधिकारी (ICDS) जमुई। | - | सदस्य |
| 9. जिला खाद्य सुरक्षा पदाधिकारी, जमुई | - | सदस्य |
| 10. औषधि निरीक्षक, जमुई | - | सदस्य |
| 11. जिला कार्यक्रम प्रबंधक, जिला स्वास्थ्य समिति, जमुई | - | सदस्य |
| 12. संबंधित थानाध्यक्ष, जमुई | - | सदस्य |

जिला नोडल पदाधिकारी तम्बाकू नियंत्रण इस छापामार दस्ते के साथ समन्वय स्थापित कर सप्ताह में कम से कम एक बार छापामारी की प्रक्रिया को क्रियान्वित करेंगे। साथ ही प्रत्येक महिने के प्रथम सप्ताह में इसका प्रगति प्रतिवेदन अधोहस्ताक्षरी को उपलब्ध करना सुनिश्चित करेंगे।

६५

(धर्मेन्द्र कुमार)

जिलाधिकारी-सह-अध्यक्ष,

जिला तम्बाकू नियंत्रण समन्वय समिति, जमुई।

- ज्ञापांक ...396...../गो० जमुई/दिनांक 31/05/2018
- प्रतिलिपि :- सभी प्रखंड विकास पदाधिकारी / अनुमंडल पदाधिकारी, जमुई / अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी, जमुई / जिला नोडल पदाधिकारी, जिला तंबाकू नियंत्रण समन्वय समिति, जमुई / जिला पंचायती राज पदाधिकारी / सिनेमा मंजिस्ट्रेट / जिला सूचना जन सम्पर्क पदाधिकारी / जिला परिवहन पदाधिकारी / जिला कार्यक्रम पदाधिकारी, आई०सी०डी०एस० / डी०आई०ओ०, एन०आई०सी०, / जिला शिक्षा पदाधिकारी / सिविल सर्जन / जिला कार्यक्रम प्रबंधक, जिला स्वास्थ्य समिति, जमुई को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।
- प्रतिलिपि :- कार्यपालक निदेशक सोशियो इकानॉमिक एण्ड ऐजुकेशन डेवलॉपमेंट सोसाइटी (सीड्स), 32 पूष्कर अपार्टमेंट, गाँधी मूर्ति के पास, पटेल नगर, पटना-23, को सूचनार्थ प्रेषित।
- प्रतिलिपि :- राज्य कार्यक्रम पदाधिकारी / राज्य सलाहकार, राष्ट्रीय तंबाकू नियंत्रण कार्यक्रम, राज्य स्वास्थ्य समिति, बिहार पटना को सूचनार्थ प्रेषित।
- प्रतिलिपि :- पुलिस अधीक्षक, जमुई को सूचनार्थ एवं अनुरोध है कि अपने स्तर से जिले के सभी थानाध्यक्षों एवं पुलिस निरीक्षकों को इस आशय की सूचना देंगे।


31/05/2018

४

प्रतिलिपि :-
प्रतिलिपि :-

आयुक्त, मुंगेर प्रमंडल, मुंगेर / पुलिस उप महानिरीक्षक, मुंगेर को सादर सूचनार्थ प्रेषित।
कार्यपालक निदेशक, राज्य स्वास्थ्य समिति, बिहार, पटना को सादर सूचनार्थ प्रेषित।


26/5/2018


(धर्मनंद कुमार)
जिलाधिकारी-सह, अध्यक्ष,
जिला तम्बाकू नियंत्रण समन्वय समिति, जमुई।

आदेश

तम्बाकू स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है। इससे मानव स्वास्थ्य पर विपरीत प्रभाव पड़ता है और व्यक्ति गम्भीर बीमारियों से ग्रसित हो जाता है। राज्य स्वास्थ्य समिति, बिहार सरकार द्वारा संचालित राष्ट्रीय तम्बाकू नियंत्रण कार्यक्रम के अन्तर्गत दिनांक-18.05.2018 को जिला स्तरीय कार्यशाला का आयोजन किया गया। कार्यशाला में लिए गए निर्णय के अनुसार सिगरेट एवं अन्य तम्बाकू उत्पाद अधिनियम COTPA-2003 के विभिन्न धाराओं के अनुपालनार्थ अनुमंडल स्तरीय छापामार दस्ते का गठन किया जाता है। यह दस्ता सार्वजनिक स्थलों, सरकारी/गैर सरकारी कार्यालय परिक्षेत्र, शिक्षण संस्थानों, स्वास्थ्य संस्थानों एवं तम्बाकू उत्पाद विक्रय स्थलों की मॉनिटरिंग कर उल्लंघनकर्ता पर नियमानुसार चालान/जुर्माना (रूपये 200/- तक) की कार्यवाही सुनिश्चित करेंगी।

अनुमंडल स्तरीय छापामार दस्ता में निम्नलिखित पदाधिकारी रहेंगे :-

- | | | |
|---|---|---------|
| 1. अनुमंडल पदाधिकारी | - | अध्यक्ष |
| 2. अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी | - | सदस्य |
| 3. कार्यपालक दण्डाधिकारी | - | सदस्य |
| 4. अनुमंडल कल्याण पदाधिकारी | - | सदस्य |
| 5. प्रभारी चिकित्सा पदाधिकारी, अनुमंडल मुख्यालय | - | सदस्य |
| 6. अनुमंडल शिक्षा पदाधिकारी | - | सदस्य |
| 7. संबंधित थानाध्यक्ष | - | सदस्य |

संबंधित अनुमंडल पदाधिकारी अपने अपने कार्यक्षेत्र में उक्त छापामार दस्ते के द्वारा प्रत्येक सप्ताह में कम से कम एक बार छापामारी की प्रक्रिया को क्रियान्वित कराते हुए प्रत्येक महिने के प्रथम सप्ताह में इसका प्रगति प्रतिवेदन अधोहस्ताक्षरी को प्रतिवेदित करना सुनिश्चित करेंगे। इस काम में अनुमंडल पदाधिकारी अनुमंडल स्तरीय अन्य पदाधिकारियों की भी सेवायें लें सकेंगे।

65

(धर्मेन्द्र कुमार)

जिलाधिकारी-सह-अध्यक्ष,
जिला तम्बाकू नियंत्रण समन्वय समिति,
जमुई।

ज्ञापांक 397 / गो 0 जमुई / दिनांक 21/05/2018

- प्रतिलिपि :- सभी प्रखंड विकास पदाधिकारी / अनुमंडल पदाधिकारी, जमुई / अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी, जमुई / जिला नोडल पदाधिकारी, जिला तंबाकू नियंत्रण समन्वय समिति, जमुई / जिला पंचायती राज पदाधिकारी / सिनेमा मजिस्ट्रेट / जिला सूचना जन सम्पर्क पदाधिकारी / जिला परिवहन पदाधिकारी / जिला कार्यक्रम पदाधिकारी, आई0सी0डी0एस0 / डी0आई0ओ0, एन0आई0सी0, / जिला शिक्षा पदाधिकारी / सिविल सर्जन / जिला कार्यक्रम प्रबंधक, जिला स्वास्थ्य समिति, जमुई को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।
- प्रतिलिपि :- कार्यपालक निदेशक सोशियो इकानॉमिक एण्ड ऐजुकेशन डेवलपमेंट सोसाइटी (सीड्स), 32 पूष्कर अपार्टमेंट, गाँधी मूर्ति के पास, पटेल नगर, पटना-23, को सूचनार्थ प्रेषित।
- प्रतिलिपि :- राज्य कार्यक्रम पदाधिकारी / राज्य सलाहकार, राष्ट्रीय तंबाकू नियंत्रण कार्यक्रम, राज्य स्वास्थ्य समिति, बिहार पटना को सूचनार्थ प्रेषित।
- प्रतिलिपि :- पुलिस अधीक्षक, जमुई को सूचनार्थ एवं अनुरोध है कि अपने स्तर से जिले के सभी थानाध्यक्षों एवं पुलिस निरीक्षकों को इस आशय की सूचना देंगे।
- प्रतिलिपि :- आयुक्त, मुंगेर प्रमंडल, मुंगेर / पुलिस उप महानिरीक्षक, मुंगेर को सादर सूचनार्थ प्रेषित।
- प्रतिलिपि :- कार्यपालक निदेशक, राज्य स्वास्थ्य समिति, बिहार, पटना को सादर सूचनार्थ प्रेषित।

26/5/2018

(धर्मेन्द्र कुमार)
जिलाधिकारी-सह-अध्यक्ष,
जिला तम्बाकू नियंत्रण समन्वय समिति,
जमुई।

समाहरणालय, जमुई
(जिला तम्बाकू नियंत्रण कोषांग)

आदेश

तम्बाकू स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है। इससे मानव स्वास्थ्य पर विपरीत प्रभाव पड़ता है और व्यक्ति गम्भीर बीमारियों से ग्रसित हो जाता है। राज्य स्वास्थ्य समिति, बिहार सरकार द्वारा संचालित राष्ट्रीय तम्बाकू नियंत्रण कार्यक्रम के अन्तर्गत दिनांक-18.05.2018 को जिला स्तरीय कार्यशाला का आयोजन किया गया। कार्यशाला में लिए गए निर्णय के अनुसार सिगरेट एवं अन्य तम्बाकू उत्पाद अधिनियम COTPA-2003 के विभिन्न धाराओं के अनुपालनार्थ प्रखंड स्तरीय छापामार दस्ते का गठन किया जाता है। यह दस्ता जो सार्वजनिक स्थलों, सरकारी/गैर सरकारी कार्यालय परिक्षेत्र, शिक्षण संस्थानों, स्वास्थ्य संस्थानों एवं तम्बाकू उत्पाद विक्रय स्थलों की मॉनिटरिंग कर उल्लंघनकर्ता पर नियमानुसार चालान/जुर्माना (रूपये 200/- तक) की कार्यवाही सुनिश्चित करेंगी।

प्रखंड स्तरीय छापामार दस्ता में निम्नलिखित पदाधिकारी रहेंगे :-

- | | | |
|-----------------------------------|---|--------------|
| 1. प्रखंड विकास पदाधिकारी | - | अध्यक्ष |
| 2. प्रभारी चिकित्सा पदाधिकारी | - | सन्वयक सदस्य |
| 3. प्रखंड शिक्षा प्रसार पदाधिकारी | - | सदस्य |
| 4. प्रखंड कृषि पदाधिकारी | - | सदस्य |
| 5. श्रम प्रवर्तन पदाधिकारी | - | सदस्य |
| 6. प्रखंड स्वास्थ्य प्रबंधक | - | सदस्य |
| 7. संबंधित थानाध्यक्ष | - | सदस्य |

संबंधित प्रखंड विकास पदाधिकारी अपने अपने कार्यक्षेत्र में इस छापामार दस्ते के द्वारा प्रत्येक सप्ताह में कम से कम एक बार छापामारी की प्रक्रिया को क्रियान्वित कराते हुए प्रत्येक महिने के प्रथम सप्ताह में इसका प्रगति प्रतिवेदन अधोहस्ताक्षरी को उपलब्ध करना सुनिश्चित करेंगे। वे आवश्यकतानुसार अंचलाधिकारी/बाल विकास परियोजना पदाधिकारी को भी अध्यक्ष के रूप में प्रतिनियुक्त कर सकेंगे। साथ ही उनके द्वारा प्रखंड स्तरीय अन्य पदाधिकारियों की भी सेवायें ली जा सकेंगी।

(धर्मेन्द्र कुमार)

जिलाधिकारी-सह-अध्यक्ष,

जिला तम्बाकू नियंत्रण समन्वय समिति, जमुई।

ज्ञापांक 398 / गो 0 जमुई / दिनांक 21/05/2018

- प्रतिलिपि :- सभी प्रखंड विकास पदाधिकारी / अनुमंडल पदाधिकारी, जमुई / अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी, जमुई / जिला नोडल पदाधिकारी, जिला तम्बाकू नियंत्रण समन्वय समिति, जमुई / जिला पंचायती राज पदाधिकारी / सिनेमा मजिस्ट्रेट / जिला सूचना जन सम्पर्क पदाधिकारी / जिला परिवहन पदाधिकारी / जिला कार्यक्रम पदाधिकारी, आई0सी0डी0एस0 / डी0आई0ओ0, एन0आई0सी0, / जिला शिक्षा पदाधिकारी / सिविल सर्जन / जिला कार्यक्रम प्रबंधक, जिला स्वास्थ्य समिति, जमुई को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।
- प्रतिलिपि :- कार्यपालक निदेशक सोशियो इकानॉमिक एण्ड ऐजुकेशन डेवलॉपमेंट सोसाइटी (सीडस), 32 पूष्कर अपार्टमेंट, गाँधी मूर्ति के पास, पटेल नगर, पटना-23, को सूचनार्थ प्रेषित।
- प्रतिलिपि :- राज्य कार्यक्रम पदाधिकारी / राज्य सलाहकार, राष्ट्रीय तम्बाकू नियंत्रण कार्यक्रम, राज्य स्वास्थ्य समिति, बिहार पटना को सूचनार्थ प्रेषित।
- प्रतिलिपि :- पुलिस अधीक्षक, जमुई को सूचनार्थ एवं अनुरोध है कि अपने स्तर से जिले के सभी थानाध्यक्षों एवं पुलिस निरीक्षकों को इस आशय की सूचना देंगे।
- प्रतिलिपि :- आयुक्त, मुंगेर प्रमंडल, मुंगेर / पुलिस उप महानिरीक्षक, मुंगेर को सादर सूचनार्थ प्रेषित।
- प्रतिलिपि :- कार्यपालक निदेशक, राज्य स्वास्थ्य समिति, बिहार, पटना को सादर सूचनार्थ प्रेषित।

21/5/2018

(धर्मेन्द्र कुमार)
जिलाधिकारी-सह-अध्यक्ष,
जिला तम्बाकू नियंत्रण समन्वय समिति, जमुई।

समाहरणालय, जमुई
(जिला तम्बाकू नियंत्रण कोषांग)

आदेश

जमुई जिले के कई स्थानों पर तंबाकू उत्पाद यथा सिगरेट, बीड़ी, पान मसाला, जर्दा एवं खैनी का प्रचार-प्रसार बैनर्स / पोस्टर्स / होर्डिंग्स / दिवाल लेखन इत्यादि के माध्यम से किया जा रहा है।

माननीय सर्वोच्च न्यायालय के आदेश के आलोक में सिगरेट एवं अन्य तंबाकू उत्पाद (विज्ञापन का प्रतिषेध और व्यापार तथा वाणिज्य, उत्पादन, प्रदाय और वितरण का विनियमन) अधिनियम, 2003, के धारा 5(1) एवं 5(3) के अनुसार किसी भी तंबाकू पदार्थों के प्रत्यक्ष एवं अप्रत्यक्ष विज्ञापन पर पूर्ण प्रतिबन्ध है। अधिनियम की धारा 21 के अनुसार "धारा 5 का उल्लंघन करने पर दो वर्ष का कारावास / रूपये 1000 / - (रूपये एक हजार) का आर्थिक दण्ड अथवा दोनों का प्रावधान है"।

अतः सभी संबंधित एजेंसियों / संस्थाओं / दुकानदारों / व्यक्तियों को निदेश दिया जाता है कि किसी भी तंबाकू उत्पाद यथा सिगरेट, बीड़ी, पान मसाला, जर्दा एवं खैनी का बैनर्स / पोस्टर्स / होर्डिंग्स / दिवाल लेखन इत्यादि के माध्यम से प्रत्यक्ष एवं अप्रत्यक्ष रूप में प्रचार-प्रसार करना बंद करें एवं जमुई जिले में लगाये गये इस तरह के बैनर्स / पोस्टर्स / होर्डिंग्स / दिवाल लेखन इत्यादि को तत्काल प्रभाव से हटाये जायें अन्यथा विधि संवत कार्रवाई की जा सकती है। संबंधित पदाधिकारी अपने कार्य क्षेत्र को TAPS (Tobacco Advertisement Promotion and Sponsorship) मुक्त कर अधोहस्ताक्षरी को एक माह के अंदर सूचित करें। यह आदेश तत्कालिक प्रभाव से लागू होगा।

६५

(धर्मेन्द्र कुमार)

जिलाधिकारी -सह- अध्यक्ष,
जिला तम्बाकू नियंत्रण समन्वय समिति,
जमुई।

ज्ञापांक 399 / गो० जमुई / दिनांक 31/05/2018

प्रतिलिपि :-

सभी प्रखंड विकास पदाधिकारी / अनुमंडल पदाधिकारी, जमुई / अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी, जमुई / जिला नोडल पदाधिकारी, जिला तंबाकू नियंत्रण समन्वय समिति, जमुई / जिला पंचायती राज पदाधिकारी / सिनेमा मजिस्ट्रेट / जिला सूचना जन सम्पर्क पदाधिकारी / जिला परिवहन पदाधिकारी / जिला कार्यक्रम पदाधिकारी, आई०सी०डी०एस० / डी०आई०ओ०, एन०आई०सी०, / जिला शिक्षा पदाधिकारी / सिविल सर्जन / जिला कार्यक्रम प्रबंधक, जिला स्वास्थ्य समिति, जमुई को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपि :-

कार्यपालक निदेशक सोशियो इकानॉमिक एण्ड ऐजुकेशन डेवलपमेंट सोसाइटी (सीड्स), 32 पूष्कर अपार्टमेंट, गाँधी मूर्ति के पास, पटेल नगर, पटना-23, को सूचनार्थ प्रेषित।

प्रतिलिपि :-

राज्य कार्यक्रम पदाधिकारी / राज्य सलाहकार, राष्ट्रीय तंबाकू नियंत्रण कार्यक्रम, राज्य स्वास्थ्य समिति, बिहार पटना को सूचनार्थ प्रेषित।

प्रतिलिपि :-

पुलिस अधीक्षक, जमुई को सूचनार्थ एवं अनुरोध है कि अपने स्तर से जिले के सभी थानाध्यक्षों एवं पुलिस निरीक्षकों को इस आशय की सूचना देंगे।

प्रतिलिपि :-

आयुक्त, मुंगेर प्रमंडल, मुंगेर / पुलिस उप महानिरीक्षक, मुंगेर को सादर सूचनार्थ प्रेषित।

प्रतिलिपि :-


कार्यपालक निदेशक, राज्य स्वास्थ्य समिति, बिहार, पटना को सादर सूचनार्थ प्रेषित।

26/5/2018

(धर्मेन्द्र कुमार)
जिलाधिकारी -सह- अध्यक्ष,
जिला तम्बाकू नियंत्रण समन्वय समिति,
जमुई।

- पदाधिकारी, आई0सी0डी0एस0 / डी0आई0ओ0, एन0आई0सी0, / जिला शिक्षा पदाधिकारी / सिविल सर्जन / जिला कार्यक्रम प्रबंधक, जिला स्वास्थ्य समिति, जमुई को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।
- प्रतिलिपि :- कार्यपालक निदेशक सोशियो इकॉनॉमिक एण्ड ऐजुकेशन डेवलॉपमेंट सोसाइटी (सीइस), 32 पूष्कर अपार्टमेंट, गाँधी मूर्ति के पास, पटेल नगर, पटना-23, को सूचनार्थ प्रेषित।
- प्रतिलिपि :- राज्य कार्यक्रम पदाधिकारी/राज्य सलाहकार, राष्ट्रीय तंबाकू नियंत्रण कार्यक्रम, राज्य स्वास्थ्य समिति, बिहार पटना को सूचनार्थ प्रेषित।
- प्रतिलिपि :- पुलिस अधीक्षक, जमुई को सूचनार्थ एवं अनुरोध है कि अपने स्तर से जिले के सभी थानाध्यक्षों एवं पुलिस निरीक्षकों को इस आशय की सूचना देंगे।
- प्रतिलिपि :- आयुक्त, मुंगेर प्रमंडल, मुंगेर / पुलिस उप महानिरीक्षक, मुंगेर को सादर सूचनार्थ प्रेषित।
- प्रतिलिपि :- कार्यपालक निदेशक, राज्य स्वास्थ्य समिति, बिहार, पटना को सादर सूचनार्थ प्रेषित।


26/5/2018


(धर्मोदर कुमार)
जिलाधिकारी-सह-अध्यक्ष,
जिला तंबाकू नियंत्रण समन्वय समिति,
जमुई